

**अनुमति की शर्तें ।**

- (1) जल संचय / पुनर्चक्रण के विधान की स्वीकृति प्राप्तित निम्न शर्तों पर होगी है ।
- (2) किसी भी प्रकार का निदान (व्यक्तिक, सामूहिक, व्यक्तिगत, या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई सम्बन्धित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (3) भारत विदेशों कार्य प्रारम्भ करने ही आवश्यक निगम को सूचित करेगा ।
- (4) स्वीकृत नगरी के विधान विधान नाम जाने पर स्वीकृत निगम की जा सकती है ।

**स्वातंत्र्य शिडली केवल आवासीय स्वीकृति**

साहाय्य नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 643 दिनांक 23/03/2020  
 मा. श्री अरुण शशिदास दास जी के आवास अर्थात्  
 न. साहाय्य नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 34 की धारा 13(1) के तहत आवासीय  
 मांग विधान हेतु मान्यता कार्यालय न. नं. 22383/अमा, जंमदा, 132/123 व 133/130  
 कर स्वनिर्धारण शर्तें रुपये 22383/अमा, श्री अरुण शशिदास  
 जयपुर रसोई मुख्य 1021/3532, 3533  
 दिनांक 23/03/2020 को जमा करा है ।

जी + 1  
 आवासीय

23/03/2020

साहाय्य नगर निगमक  
 नगर निगम, जोधपुर

Deepa Shetty  
 W/o. Bharat Shetty  
 2209402583